## न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103003622016</u> दांडिक प्रकरण क.-455/16 संस्थापित दिनांक-08.11.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :--

आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

### अभियोजन

#### विरुद्ध

01-राजेश प्रजापति पुत्र चैनू आयु 30 वर्ष 02—सुरेन्द्र प्रजापति पुत्र चैनू आयु 22 वर्ष 03—आशाराम प्रजापति पुत्र चैनू आयु 26 वर्ष 04—चैनू प्रजापति पुत्र बल्लो आयु 56 वर्ष निवासीगण हौजखाँस तालाव के पाास चंदेरी जिला अशोकनगर (म०प्र०)

### आरोपीगण

राज्य द्वारा

:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

आरोपीगण द्वारा :- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

# -: <u>निर्णय</u> :--(आज दिनांक 06.02.2018 को घोषित)

आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341,294,324,506,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है। 0203— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 341,294,506 भाग दो 34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी लल्लू ने दिनांक 16.10.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 16.10.16 समय 16:30 बजे होसखास तालाव के पास बाहर शहर चंदेरी में आरोपीगण ने आकर गाली दी थी तथा सिर में फर्सा मारा एवं जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगणके विरुद्ध अपराध क्रमांक 490/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 341,294,324,506,34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 341,294,324 एवं 506 भाग दो 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 16.10.16 को समय 16:30 बजे हौजखास तालाब के पास बाहर शहर चंदेरी पर सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी लल्लू को फरसे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 लल्लू की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 लल्लू ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को आरोपीगण से उसकी धक्का मुक्की हो गई थी तथा वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनाक को आरोपीगण ने फर्से से उसे मारकर चोट पहुंचाई थी। उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी की फर्से से मारपीट की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे का फर्सा जिसकी फल की लंबाई 10 अंगुल करीवन ,फल की उंचाई साढे तीन अंगुल है जिसमे बांस की लकडी का बेंट लगा है। मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)